



प्रेषक,

निदेशक

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान,

उ०प्र०, कानपुर-208002 ।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,

राजकीय / अनुदानित पॉलिटेक्निक,

उ०प्र०।

पत्रांक 5256-5427/ज० ट्रे०/2021-22 कानपुर।

दिनांक: 08-02-2021

विषय: संकाय सदस्यों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया इस संस्थान के पत्र संख्या 107-114/ज० ट्रे०/2021-22 दिनांक 20-05-2021, पत्र संख्या 765-76/ज० ट्रे०/2021-22 दिनांक 15-09-2021 तथा पत्र संख्या 3789-3972/ज० ट्रे०/2021-22 दिनांक 28-12-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विगत वर्ष की भांति राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) चंडीगढ़ के सहयोग से आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अतः आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि आप अपनी संस्था में कार्यरत संकाय सदस्यों को प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों (अधिकतम 02 सप्ताह के 02 अथवा 1 सप्ताह के 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम) में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किये जाने वाले दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम से कम 01 माह का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्था प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रायः यह पाया गया है कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचना इस संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध वेबलिंग पर अंकित नहीं की जा रही है अतः संस्था प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि संकाय सदस्य प्रतिभाग कर पूर्ण किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचना प्रशिक्षण के उपरान्त वेबलिंग (<https://forms.gle/3j9aqiM34h2yqCJH7>) पर अपलोड कर दे जिससे अग्रिम कार्यवाही ससमय की जा सके।

साथ ही यदि किसी संस्था स्टाफ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना इस संस्थान को अलग से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। संस्था स्टाफ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग न करने की स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(मनोज कुमार)

निदेशक

पृ०स०:

/ज० ट्रे०/2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
- 3-समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(मनोज कुमार)

निदेशक